उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-15/2015/994/92-2-15-26आरईएस/1997
लखनऊ:: दिनांक:: 16 दिसम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-गाजीपुर में कराये गये निर्माण कार्यो में की अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-344/62-03-98-26आरईएस /1997, दिनांक 10-02-1999 द्वारा श्री सदरूद्दीन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड'-गाजीपुर के विरूद्व सी0सी0ए0 रूल्स के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु श्री बी0 एन0 तिवारी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में जांच अधिकारी, श्री बी0एन0 तिवारी की सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-05-2001 द्वारा जांच अधिकारी को परिवर्तित करते हुए श्री तिवारी के स्थान पर श्री पी0 एल0 भण्डारी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/श्री पी0एल0 भण्डारी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 18-03-2002 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयीA जॉच आख्या में श्री सदरूददीन के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये, किन्तु किसी भी आरोप में शासकीय क्षति के आरोप स्थापित नहीं पाये गये।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी पर शिथिल पर्यवेक्षण का आरोप स्थापित पाये जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नहीं पाया गया है। अपचारी अधिकारी अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10-02-1999 द्वारा श्री सदरूद्दीन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/994(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सदरूददीन, तत्कलीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र,लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।